सावधान !

अफवाहों से बचें। पिछले कुछ दिनों से कठपुतली निवासियों को गुमराह किया जा रहा है। डीडीए आप लोगों को बताना चाहती है कि –

1. यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को, जो कि 2010-11 में किये सर्वे के दौरान यहाँ रह रहा था। उन सबको मकान दिया जायेगा।

2. इसके लिए डीडीए पंजीकरण शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोग पंजीकरण करवाते जा रहे है।

3. अगर आपको किसी रजिस्ट्रेशन पेपर के गलत होने का शक है तो उस पेपर को डीडीए के उच्चाधिकारियों के सामने पेश करें। अफवाहों पर ध्यान न दें।

4. ट्रांजिट कैम्प में आपके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है। ट्रांजिट कैम्प की सुविधाओं में – सीलिंग फैन सहित कमरे, पर्याप्त मात्रा में बिजली–पानी, पीने के लिए आरओ फिल्टर पानी, शौचालय, स्नानागृह, स्कूल, पार्क, सामुदायिक केन्द्र, प्रदर्शनी एरिया, साफ–सफ़ाई की सुविधा व चौड़ी व पक्की सड़के इत्यादि उपलब्ध है।

5. यह पूर्णतः झूठ है कि बिल्डर को 5.22 हैक्टेयर कठपुतली स्लम मात्र 6.11 करोड़ में बेचा गया है। सच्चाई यह है कि बिल्डर को मात्र 0.97 हैक्टेयर जमीन दी गई है जिस पर 170 फ्लैट बनाने का प्रावधान है। बदले में बिल्डर आप सब के लिए 2800 बहुमंजिला सैंकड़ों–करोड़ों रुपये के फ्लैट मुफ्त बना कर दे रहा है जिसमें पार्किंग सुविधाएं, बिजली, पानी, पार्क, कम्युनिटी सेन्टर, प्रदर्शनी एरिया, स्कूल, बस्ती विकास केन्द्र, फल–सब्जी, किरोसीन डिपो, दूध डिपो इत्यादि सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इसके अलावा बिल्डर ने आप लोगों के लिए कई करोड़ों की लागत से आधुनिक सुविधाओं के साथ 2800 ट्रांजिट कैम्प के यूनिट भी मुफ्त बना दिये है। जिन्हें आप जरूर देखें।

6. प्रत्येक फ्लैट में दो कमरे, एक बड़ा बरामदा, बाथरूम, किचन इत्यादि का प्रबन्ध होगा। इसका एरिया 30.5 वर्ग मीटर है। सर्वे किये गये हर परिवार को एक पूरा यूनिट दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए डीडीए की वेबसाइट : www.dda.org.in देखें।

7. आप लोगों की कलाकृतियों व कलाकारी के संरक्षण के लिए पर्याप्त प्रावधान किये जा रहे हैं ताकि कलाकारों को बढ़ावा मिल सके। आपके अतिरिक्त सुझावों पर डीडीए ध्यान देने के लिए तैयार है।

8. शरारती व लालची तत्वों से गुमराह न हों। किसी के बहकावे में न आये। यह आप व आपके बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए है। डरने की आवश्यकता नहीं है, गुण्डा तत्वों से न डरें। प्रशासन आपके साथ है। हेल्पलाइन नम्बर : 8527592691 - 700 पर कॉल करें।

डीडीए